पत्रांक- 120, फारम– VIII –क दिनांक- 07.03.2024

कार्यालय, बोधगया आयोजना प्राधिकार क्षेत्र

भवन योजना का अनुमोदन

उपविधि–8 (4)

आवेदन संख्या.....तिथि.....के सन्दर्भ में

M/S SAMSUMI HOMES PVT. LTD.
निदेशक श्री सुधीर कुमार सिंह, पिता–श्री केदारनाथ सिंह, एवं श्री मिथिलेश कुमार, पिता–श्री चन्देशवरी सिंह
पता– 309, ए0पी0 कॉलोनी, गया।

1. आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट)

हेतु नगर परिषद, बोधगया बिहार शहरी अयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के प्लॉट संख्या –1252, 1253, 1254 खाता संख्या–01, 117, 154 (नया) तौजी नं0–.....थाना संख्या–350 मौजा– खरांटी, पता–खरांटी, थाना+पो0– बोधगया, जिला–गया के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एत्द द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस संख्या 2023–24 है, जिसकी निर्माण क्षेत्रफल–7141 वर्ग मीटर एवं भू–तल की स्वीकृति दी जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1755 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 7.60 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदन के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शान्तिपूर्ण कब्जा में आवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आंच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद, बोधगया आयोजन क्षेत्र में 00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA) ,2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस योजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेज/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायगी।

P.T.O.

07.03.24

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधक नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाएगा।

(ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी–2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(त) अन्य शर्त– बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 एवं बिहार भवन उपविधि–2014 तथा (संशोधित) उपविधि–2022 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए भवन निर्माण किया जाएगा।

ह0/-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
–सह–कार्यपालक पदाधिकारी,
बोधगया आयोजना प्राधिकार क्षेत्र
नगर परिषद, बोधगया।

ज्ञापांक 120/आ0क्षे0प्रा0 Jyndon 07.03.24 दिनांक 07-03-24

प्रतिलिपि– M/S SAMSUMI HOMES PVT. LTD.,
निदेशक श्री सुधीर कुमार सिंह, पिता–श्री केदारनाथ सिंह, एवं श्री मिथिलेश कुमार, पिता–श्री चन्देशवरी सिंह
पता–309, ए0 पी0 कॉलोनी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (गया)

07/03/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
–सह–कार्यपालक पदाधिकारी,
बोधगया आयोजना प्राधिकार क्षेत्र
नगर परिषद, बोधगया।

Jyndon 07.03.24